

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा
वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर- 302005
(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक रू. प.4(ई)(वी) अलेसे-III / लिंक नं.-10096 / 3124

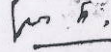
दिनांक:- 13-03-2019

कार्यालय आदेश

श्री विकास शर्मा कनिष्ठ लेखाकार (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) कार्यालय उप परिवहन आयुक्त जयपुर को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 के अन्तर्गत निम्नानुसार असाधारण अवकाश(अवैतनिक) स्वीकृत किया जाता है।

दिनांक 01.01.2019 से 17.01.2019 तक

उक्त कुल 17 दिवस का असाधारण (अवैतनिक) अवकाश का इन्द्राज श्री विकास शर्मा की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावें।


(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक :- प.4(ई)(वी) अलेसे-III / लिंक नं.-10096 / 3124

दिनांक:- 13-03-2019

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. उप परिवहन आयुक्त जयपुर
2. अतिरिक्त निजी सचिव निदेशक।
3. उपनिदेशक (ए.सी.पी.) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. श्री विकास शर्मा कनिष्ठ लेखाकार लिंक नं.-10096 (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) कार्यालय उप परिवहन आयुक्त जयपुर।
5. रक्षित पत्रावली।


(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-III)